न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 22 / 2025

अपीलान्ट : –

1. कैलाशचन्द्र चौपड़ा पुत्र पारसमल चौपड़ा जाति जैन निवासी श्यामनगर पाल लिंक रोड तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. जौहरीचन्द गौलिया पुत्र उमगचन्द गौलिया जाति जैन निवासी गोलियों की पोल, कपड़ा बाजार जोधपुर।
3. पंकज कवाड़ पुत्र हुक्मीचन्द कमाड़ जाति जैन निवासी विनायक कॉलोनी 6वीं रोड़ शक्ति नगर पावटा सी रोड जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स : –

1. ककु बाई पत्नि स्व टाउराम जी जाति पटेल निवासी निम्बली नाडी ग्राम झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत झंवर पंचायत समिति धवा जिला जोधपुर।
3. नारायणराम पुत्र आईदानराम जी जाति पटेल निवासी ग्राम झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियमविरूद्ध नामान्तकरण संख्या 225 ग्राम निंबली पटवार हल्का झंवर दिनांक 18.08.2024 जो कि ग्राम पंचायत झंवर द्वारा निरस्त किया गया के विरूद्ध स्वीकृत

उपस्थिति : –

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्रसिंह राठौड़।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा व हनुमान प्रजापति।

दिनांक :– 07.04.2026

– :: निर्णय :: –

1. अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 225 ग्राम निंबली पटवार हल्का झंवर जो कि दिनांक 18.08.2024 ग्राम पंचायत झंवर द्वारा निरस्त किया गयाके विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई।

2. अपीलान्ट द्वारापेश अपील मीमों में अंकित अभिवचनों के अनुसार प्रकरण सारवान एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने श्रीमति कंकू बाई पत्नि टाउराम जाति पटेल निवासी निम्बली नाडी ग्राम झंवर से उसके संयुक्त खातेदारी की कब्जा सुदा मालिकाना हक व अधिकार की कृषि भूमि खसरा नंबर 415 रकबा 11.1046 हेक्टर में से 2.314807 हेक्टर यानि रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि को जरिये बेचान 28.06.2024 कार्यालय उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के जरिये संपूर्ण बेचान प्रतिफल अदा कर कब्जा मौके पर प्राप्त किया तथा अपने खरीद सुदा कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट ने अपने नाम करवाने के लिए पटवारी हल्का झंवर से सम्पर्क कर कार्यवाही की गई जिस पर पटवारी हल्का झंवर द्वारा दिनांक 29.07.2024 को म्यूटेशन संख्या 225 ग्राम निम्बली का नामान्तरकरण भर स्वीकृति हेतू ग्राम पंचायत झंवर को ऑन लाईन अग्रेषित किया गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

लेकिन ग्राम पंचायत झंवर के सरपंच द्वारा दिनांक 18.08.2024 को उपरोक्त कृषि भूमि के बेचान नामान्तरकरण को बिना किसी कारण तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मनमर्जी से अपीलान्ट को तंग परेशान करते हुए नाजायज मांग करते हुए व मांग की पूर्ति नहीं किये जाने से पत्रावली मे बिना रिपोर्ट किये खारिज कर निरस्त कर दिया जबकि अपीलान्ट का मोके पर कब्जा एवम् स्वामित्व था जिस पर आज दिन भी अपीलान्ट काबिज है तथा ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 225 ग्राम निम्बली तहसील झंवर सरपंच ग्राम पंचायत झंवर द्वारा पारित नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु आदेश को अपास्त फरमाते हुए नामान्तरकरण प्रपत्र में दर्ज खसरा संख्या 415 ग्राम निम्बली पटवार हल्का झंवर की कृषि भूमि में अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र का पेश कर कथन किया उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश अपीलार्थी को बिना सुचना व सूनवाई का नोटिस दिये पारित कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई अतः अपील अन्दर मियाद सुमार की जावें। अपीलांट द्वारा पेश धारा 5 म्याद प्रार्थना में म्याद बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति द्वारा वकालतनामापेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की तरफ से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा द्वारा वकालतनामा और फॉर्म–3 के संलग्न दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार झंवर से मूल नामान्तरकरण प्राप्त किया गया जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपील में जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

5. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 द्वारा बहस में कथन किया कि ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 412, 414, 415 की कुल रकबा 12.9986 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत प्रार्थी नारायणराम को प्राप्त हुई है तब से लेकर आज दिनांक तक नारायणराम उक्त भूमियों पर काबिज होकर काश्त करता है। बिना अधिकार व कब्जे के ही ककुदेवी ने बेचाननामा निष्पादित किया है जिसको बिना कब्जे के बेचाननामें के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत ने खारिज कर दिया है प्रार्थी नारायणराम को दिनांक 19.11.1992 से मालिकाना हक प्राप्त है। मालिकाना हक के दस्तावेज को आज दिनांक तक किसी ने चुनौती नहीं दी हैं। वादग्रस्त खसरा नं. 412, 414, 415 की भूमियां प्रार्थी को पूर्व में वसीयत से प्राप्त हुई तथा आज दिनांक तक प्रार्थी का उक्त भूमियों में कब्जा–काश्त हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा पेश फॉर्म3 के संलग्न ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी प्रमाण पेश किया जिसमें यह बताया गया कि खसरा नं. 412, 414, 415 की संपूर्ण भूमि पर वसीयत अनुसार संन् 1992 से नारायणराम पुत्र आईदानराम का कब्जा काश्त बताया है साथ ही वसीयतनामा बहक नारायणराम भी पेश किया गया।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपील पेश करने बाबत अपने विलम्ब का अंकन धारा 5 लिमिटेशन प्रार्थना पत्र में किया है जिससे न्यायालय सहमत है अतः अपील पेश करने में हुये डिले को कन्डोन किया जाता है। प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 3 द्वारा बहस में अपीलांट्स के अपील मीमों मे

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील दुर्भावनापूर्ण इरादा, बदनीयती, या गलत मंशा से पेश की जिसे खारिज किया जावें। इसके विपरित अपीलांट्स द्वारा अपीलमीमों में वर्णित अभिवचनों को दौहराते हुए अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण प्रपत्र में दर्ज खसरा संख्या 415 ग्राम निम्बली पटवार हल्का झंवर की कृषि भूमि में अपीलान्ट्स के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

7. हमने अपील प्रार्थना पत्र और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन एवं उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2074–77 जमाबंदी 2079 ग्राम निंबली के खसरा नंबर 415 रकबा 11.1046 हैक्टेयर से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ककुबाई का हिस्सा 143/686 दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार है। एक रिकार्डेड खातेदार अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान करने को स्वतंत्र है। अपीलांट्स के खरीद सुदा कृषि भूमि का नामान्तरकण संख्या 225 हल्का पटवारी द्वारा भरा जाकर दिनांक को 29.07.2024 को स्वीकृति हेतू प्रेषित किया जिसे ग्राम पंचायत झंवर द्वारा दिनांक 18.08.2024 को निरस्त किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेचान करने का अधिकार है। उक्त क्रम में इस न्यायालय के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 46/2022 के निर्णय दिनांक 01.11.2023 में भी यह अंकित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ककुबाई को टाउराम की पत्नी होने के नाते जो 1/2 हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है उसे बेचान हस्तांतरण करने को स्वतंत्र है। उक्त भूमि सहखातेदारी की है जिसमें सहखातेदार द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर अपीलांटस को बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत झंवर द्वारा नामान्तरकण संख्या 225 में जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2024 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार झंवर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम निम्बली की कृषि भूमि खसरा नंबर 415 बेचाननामा 28.06.2024 के अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण की नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार झंवर यह सुनिश्चित करेंगे कि नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करने बाबत किसी न्यायालय से स्थगन प्रभावी नहीं है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय आज दिनांक 07.04.26 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी